आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन-(022) 66552779 एवं 66194058
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.com]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 13वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई 2017 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2017 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना,

2. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

   ''संकल्प किया जाता है कि जारी किए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और (ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है. उपर्युक्त नियुक्तियाँ/पुनर्नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति की सिफ़ारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे."

विशेष कारोबार

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Phone-(022) 66552779 & 66194058
e-mail:idbiequity@idbi.co.in, website:www.idbi.com]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 13th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Tuesday, July 18, 2017 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2017 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;

2. To appoint/ re-appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) appoint / re-appoint Joint Statutory Auditor(s) of the Bank for the Financial Year 2017-18 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2017-18 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मण्डल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज / विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 5000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हों) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए), या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और /या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों / दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा."

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of shareholders of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating upto ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/ members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) (pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations) or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमेट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध क़ानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जा जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी के दिशानिर्देशों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम के समर्थकारी प्रावधानों और अन्य लागू कानून, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में प्रभावी उनके संशोधन या उनके आशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा लागू हों, तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/या अन्य सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा जारी, लागू, सम्बद्ध और समय-समय पर संशोधित

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Director or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, SEBI guidelines, Banking Regulation Act, 1949, enabling provisions of the Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any including any amendment thereto or statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, as applicable, including such other statutes, notifications, clarifications, circulars, rules and regulations as may be

अन्य विधान, अधिसूचना, स्पष्टीकरण, परिपत्र, नियम एवं विनियम शामिल हैं, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण, जो इस संबंध में अपेक्षित हो, से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसी शर्तों और निबंधनों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भाग में निजी तौर पर शेयर आबंटन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को मिलाकर ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए तथा एतदद्वारा सहमति दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में जरूरी या आकस्मिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों और अधिनियम के लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में और भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर 2016 के पत्र एफ़.सं.6/24/2013-बीओ.I के जरिए जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 121 में परिवर्तन किया जाए और एतद्द्वारा निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:

संस्था के अंतर्नियम का संशोधित नियम 121:

121. (क) एक नामित निदेशक उन्हें नामित करने वाले प्राधिकारी के प्रसादानुसार अपने पद पर बने रहेंगे.

(ख) प्रत्येक नामित निदेशक केंद्र सरकार द्वारा उनके नामांकन के समय निर्दिष्ट किए गए अनुसार अपने पद पर ऐसी अवधि के लिए बने रहेंगे जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा वे पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि ऐसे निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए अपने पद पर नहीं रहेंगे."

applicable and relevant, as amended from time to time, issued by the Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other statutory/ regulatory authority and subject to approvals, if any, required from the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for mobilisation in one or more tranches upto ₹ 5000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue during the FY 2017-18 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Act and Rules made thereunder and in order to comply with the directions of Government of India issued vide letter F.No.6/24/2013-BO.I dated October 31, 2016, Article 121 of the Articles of Association of IDBI Bank be and is hereby altered as follows :

Proposed Article 121 of the Articles of Association:

121. (a) A nominated director shall hold office during the pleasure of the authority nominating him.

(b) every nominated director shall hold office for such term not exceeding three years as the Central Government may specify at the time of his nomination and shall be eligible for re-nomination; Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन 00233635), जिन्हें संस्था के अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में 28 अप्रैल 2017 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि 13वीं वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होनी है तथा जिनके बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन बैंक निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116ए के साथ पठित नियम 116(1)(ई) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगी तथा आरंभ में, 28 अप्रैल 2017 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बनी रहेंगी."

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(ए)(ii) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 18 मार्च 2017 की अधिसूचना एफ.सं.13/8/(2)2015-बीओ.1 के जरिए श्री महेश कुमार जैन, (डीआईएन 03513127) को 03 अप्रैल 2017 (पदभार ग्रहण करने की तारीख) से 01 नवंबर 2018 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति को, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया है, नोट किया जाए तथा एतदद्वारा नोट किया जाता है.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(बी) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4/5/(7)2016-बीओ.1 के जरिए श्री कृष्ण प्रसाद नायर (डीआईएन 02611496) की 15 सितंबर 2016 (पदभार ग्रहण करने की तारीख) से 31 मई 2019 तक अर्थात् उनके अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को, जिसे बोर्ड ने

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT Dr. Ashima Goyal (DIN 00233635) who was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. April 28, 2017 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 13th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying her candidature for the office of Director of the Bank, has been received, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(e) read with Article 116A of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. April 28, 2017."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Mahesh Kumar Jain (DIN 03513127), as Managing Director & CEO w.e.f. April 03, 2017 (the date of taking over the charge of the post) upto November 01, 2018 or until further orders, whichever is earlier, by Govt. of India, vide Notification F.No.13/8/(2)2015-BO.I dated March 18, 2017, in terms of Article 116(1)(a)(ii) of the Articles of Association of the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Krishna Prasad Nair (DIN 02611496), as Deputy Managing Director w.e.f. September 15, 2016 (the date of taking over the charge of the post) upto May 31, 2019 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier, by Govt. of India vide Notification F.No.4/5/(7)2016-BO.I dated September 15, 2016, in terms of Article 116(1)(b) of the Articles of Association of

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया है, नोट किया जाए तथा एतदद्वारा नोट किया जाता है.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(बी) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4/5/(6)2016-बीओ.1 के जरिए श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर (डीआईएन 01432796) की 15 सितंबर 2016 (पदभार ग्रहण करने की तारीख) से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया है, नोट किया जाए तथा एतदद्वारा नोट किया जाता है''.

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(सी) की शर्तों के अनुसार 07 फरवरी 2017 की अधिसूचना एफ.सं.7/2/2012-बीओ.1 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में श्री अशोक पाल सिंह के स्थान पर 07 फरवरी 2017 से अगले आदेश तक श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन 00208604), संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के नामांकन को सरकार के नामिती निदेशक के रूप में, जिसे बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया है, नोट किया जाए तथा एतदद्वारा नोट किया जाता है.''

बोर्ड के आदेश से

(महेश कुमार जैन)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 03513127)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स
कफ परेड, मुंबई-400 005
दिनांक : 31 मई 2017

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar (DIN 01432796), as Deputy Managing Director w.e.f. September 15, 2016 (the date of taking over the charge of the post) for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, by Govt. of India vide Notification F.No.4/5/(6)2016-BO.I dated September 15, 2016, in terms of Article 116(1)(b) of the Articles of Association of the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted."

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the nomination of Shri Praveen Garg (DIN 00208604), Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India as Government Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Shri Ashok Pal Singh w.e.f. February 07, 2017 and until further orders, by Govt. of India vide Notification F.No.7/2/2012-BO.I dated February 07, 2017, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank, as approved by the Board in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013, be and is hereby noted".

By Order of the Board

(Mahesh Kumar Jain)
MD & CEO
(DIN 03513127)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated : May 31, 2017

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में वोट देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त करे तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

(क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

(ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटार्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

(a) It is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the Register of Members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

(b) It is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति बैठक में भाग लेने के समय अपनी पहचान का प्रमाण देगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को बैठक में भाग लेने के समय अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट लाना होगा.

(घ) यदि व्यक्ति को पचास से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है तो ऐसा प्रॉक्सी किन्हीं पचास सदस्यों को चुनेगा और निरीक्षण के लिए निर्दिष्ट अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् 17 जुलाई 2017 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पूर्व बैंक को उसकी पुष्टि करेगा. यदि ऐसा प्रॉक्सी सूचना नहीं दे पाता है तो बैंक प्राप्त पहले पचास प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

3. सदस्यों/ प्रॉक्सियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरे हुए पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779/ 3062/ 3336, 66194058 ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार;

(c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving Licence or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

(d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3:30 p.m. (IST) on July 17, 2017. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the Identification Forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the Meeting.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the Meeting.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No. (022) 66552779/ 3062/ 3336, 66194058, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of Members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;

i. वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

ii. बैंक वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब आधारित ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं दे पाए हैं, एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

iii. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.

iv. लॉगिन आईडी के ब्योरे इस नोटिस के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 12 जुलाई 2017 से मंगलवार, 18 जुलाई 2017** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई ईलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **11 जुलाई 2017** (अंतिम दिन), जो तारीख रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

[अ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी और फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder ''Login'' पर क्लिक करें.

i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

ii) The Bank is providing facility for Tab based e-voting at the venue of AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.

iii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 12, 2017 to Tuesday July 18, 2017** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **July 11, 2017** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting at the AGM venue.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://www.evoting.nsdl.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. ''Login'' पर क्लिक करें.

v. Password change मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. ''e-Voting'' का होम पृष्ठ खुलेगा. ''e-Voting''- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **शनिवार, 15 जुलाई 2017 (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 09:00 बजे)** को शुरू होगी और **सोमवार, 17 जुलाई 2017 (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे)** को समाप्त होगी.

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट डालें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर वोट दे दिया है तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

[आ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हैं.

i. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder-Login पर क्लिक करें

अपना यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें

नोट : शेयरधारक जो प्रयोक्ता ब्योरे/पासवर्ड भूल गए हैं वे www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physical User Rest Password?'' विकल्प का प्रयोग कर सकते है.

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Saturday, July 15, 2017 (9:00 a.m. IST)** and ends on **Monday, July 17, 2017 (5:00 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of NSDL

i. Launch internet browser by typing URL: https://www.evoting.nsdl.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password

Note: Shareholders who forgot the User Details/ Password can use "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

यदि शेयरधारक ड़िमैट रूप में शेयर रखते हैं तो USER-ID, (DPID+clientID) का संयुक्त रूप है.

यदि शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं तो USER-ID, (Even No +Folio No.) का संयुक्त रूप है.

iii. ''Login'' पर क्लिक करें.

iv. ''e-Voting'' का होम पेज खुलेगा. e-Voting - Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना वोट डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. ईवीईएन के लिए, आप संकल्प पर वोट करने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात् **17 जुलाई 2017** को शाम **5:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार),** जो भी पहले हो, एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं. मतदान अवधि, **शनिवार, 15 जुलाई 2017 को (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 9:00 बजे)** शुरू तथा **सोमवार, 17 जुलाई 2017 को (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे)** समाप्त होगी.

vi. अब 'Cast Vote' के पृष्ठ खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट दें, ''Submit'' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.

viii. यदि आपने संकल्प पर वोट दे दिया है तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें औरउसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

[इ] ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 02 जून 2017 के बाद और 11 जुलाई 2017 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 02 जून 2017 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 11 जुलाई 2017 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 11 जुलाई 2017

In case Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DPID+Client ID).

In case Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No.+Folio No.).

iii. Click Login.

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item (s) of Business. For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5:00 p.m. (IST) of July 17, 2017,** whichever is earlier. Voting period commences on and from **Saturday, July 15, 2017 (9:00 a.m. IST)** and ends on **Monday, July 17, 2017 (5:00 p.m. IST).**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

[C] Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of AGM Notice, i.e., June 02, 2017 and upto July 11, 2017 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders).

Persons who have acquired shares during the period from June 02, 2017 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 11, 2017 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be

की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने का विकल्प चुनते हैं, वे अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना प्रयोक्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/ Password?'' या ''Physical User Reset Password?'' का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें किः

- सदस्यों के मताधिकार 11 जुलाई 2017 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकता है, किन्तु उसे महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 17 जुलाई 2017 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तुरंत बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य जो 11 जुलाई 2017 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,

Members as on the said cut-off date of July 11, 2017, can exercise their voting right through remote e-voting or Tab voting at the venue of AGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your User Details/ Password you can use "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 11, 2017
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 17, 2017 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons who are not Members of the Bank as on July 11, 2017, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District,

हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552779/ 3336/ 3062/ 66194058) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

10. ऐसे सदस्यों को वार्षिक महासभा के स्थान पर अपना वोट डालने के लिए टैब वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं.

11. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 20 जुलाई 2017 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbi.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

12. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन जमा करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य आईडीबीआई बैंक/ कार्वी को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 के मानदंडों के अनुसार, हम, एतदद्वारा, आईडीबीआई बैंक लि. के सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत नहीं किया है या इसे अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध करते है कि आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 21 मार्च 2013 के सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/ डीपी/10/2013 के अनुसार, अब से सूचीबद्ध कंपनियाँ अनिवार्य रूप से निवेशकों को, शेयर धारकों के लाभांश (भविष्य में यदि कोई घोषित किया जाए) सहित सभी भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से करेंगी. हम बैंक के सभी भौतिक शेयरधारकों से बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर उपलब्ध

Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779/ 3336/ 3062/ 66194058) or NSDL - Toll Free No. 1800 222 990.

10. Tab voting will be provided at the venue of AGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

11. The result of e-voting alongwith Scrutinizer's Report will be announced on or before July 20, 2017 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

12. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ Karvy.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION :

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. CIR/MRD/DP/10/2013 dated 21.03.2013, directing that, henceforth, Listed Companies shall mandatorily make all payments to Investors, including Dividend (to be declared, if any, in future) to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., all Shareholders of the Bank who hold physical shares are requested to furnish the Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's

अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे प्रस्तुत करने (यदि अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है) का अनुरोध करते हैं. विधिवत भरे हुए फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से लाभांश (यदि कोई घोषित किया जाए) के भुगतान में सुविधा होगी.

03. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 के मानदंडों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े रहेंगे, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में बैंक को इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2009-10 के अदावित लाभांश को निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश का अभी तक दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

04. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को भौतिक स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

05. यदि आप लाभांश का इलेक्ट्रोनिक भुगतान नहीं चाहते हैं तो भी आप अपने बैंक खाता विवरण (खाता सं. एवं बैंक कानाम) की जानकारी उपर्युक्त फॉर्म में दें जिसे सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश वारंट पर आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रिंट करना अनिवार्य है.

06. कृपया नोट करें कि 13वीं महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, डाउनलोड की सुविधा के साथ, बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और इनकी भौतिक प्रतियों का निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान बैंक के पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है.

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने अथवा महासभा के आयोजन स्थल पर टैब वोटिंग के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जो सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख 11 जुलाई 2017 को शेयरों के लाभार्थी स्वामी हैं.

website www.idbi.com. Duly filled in form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate payment of dividend (declared, if any) through aforesaid electronic mode in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2009-10 to the Fund. The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2009-10 are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules before date. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

04. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

05. In case, you do not want Electronic payment of the Dividend, kindly still furnish your Bank Account information (Account number and Bank's name) on the aforesaid form required to be mandatorily printed by IDBI Bank on the Dividend warrants as per SEBI's directives.

06. Please note that the Notice of 13th AGM and Annual Report will also be made available on Bank's website www.idbi.com with download facility and physical copies of the same can be inspected at the Registered Office of the Bank during office hours.

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of July 11, 2017, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or Tab voting at the venue of the AGM.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 2

बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. इस नियुक्ति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत शेयरधारकों की महासभा में साधारण संकल्प पारित करके अभिपुष्टि की जानी अपेक्षित है. मेसर्स मुकुन्द एम चितले, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 106655डब्ल्यू) और चौकशी एण्ड चौकशी एलएलपी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं.101872डब्ल्यू/ डब्ल्यू100045) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आईडीबीआई बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक पुनर्नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 13वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. वर्ष 2017-18 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगा जा रहा है. चूंकि रिज़र्व बैंक की मंजूरी में समय लग सकता है, अतः यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके वार्षिक महासभा द्वारा बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. उपर्युक्त लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा. तदनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं.2 में निहित सामान्य संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित है.

2. सूचना की मद सं. 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बैंक की चालू विस्तार योजनाओं, बासेल

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

1. Item No. 2 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. The appointment is required to be ratified in the General Meeting of shareholders by passing Ordinary Resolution under Section 139 of the Companies Act, 2013. M/s Mukund M. Chitale, Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.106655W) and Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.101872W/ W100045) were re-appointed as Joint Statutory Auditors of IDBI Bank for the year 2016-17. These Auditors will hold office till the conclusion of 13th AGM. Approval of RBI is being sought for appointment of Joint Statutory Auditors of the Bank for the year 2017-18. Since RBI approval may take time to be granted, it is proposed that by passing ordinary resolution under Section 139 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Board may be authorized by the AGM, to appoint / re-appoint Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2017-18 and appoint / re-appoint Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2017-18 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received from RBI in this regard. The terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The Ordinary Resolution as contained at Item No.2 of the AGM Notice is accordingly proposed to be passed by the shareholders.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.3 of the Notice

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing

III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग आदि के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 22 जुलाई 2016 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 21 जुलाई 2017 तक वैध है.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा.

(iii) यह समर्थकारी संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी विनियम (एलओडीआर) 2015 के विनियम 41(4) के साथ पठित है, बशर्ते कि जब भी बैंक द्वारा दोबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार से इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, तथा निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी आदि के जरिए कुल ₹ 5000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया

expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on July 22, 2016 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year upto July 21, 2017 in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provide that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2009. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII

अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसे किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) "संगत तारीख" से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(x) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरुरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xi) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान

of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(xi) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate

करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiii) आबंटित होने वाले इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस प्रयोजन के लिए बैंक को शेयरधारकों से एक विशेष संकल्प के जरिए सहमति लेनी आवश्यक है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 3 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार यह प्रस्तुत है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

3. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण-पत्र और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में वर्ष भर के सभी प्रस्तावित निर्गमों के संबंध में इस प्रकार का अनुमोदन वर्ष के आरंभ में ही लिया जाए.

(ii) निर्गमों की कीमत का निर्धारण प्रत्येक निर्गम के समय ही किया जा सकता है. घरेलू बाज़ार में निर्गम की कीमत का निर्धारण बाज़ार की वर्तमान स्थितियों और बैंक के लिए समग्र उधार लागत पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा.

तदनुसार, निदेशक मंडल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विशेष संकल्प पारित करके शेयरधारकों से उनके अनुमोदन की मांग करता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है.

flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiii) The equity shares to be allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No. 3 of the Notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is/are concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.4 of the Notice

(i) In terms of Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, private placement of securities will require previous approval of the shareholders by Special Resolution. Provided that in case of non-convertible debentures, such approval may be taken in the beginning of the year in respect of all proposed issues during the year.

(ii) The pricing of the issuances can be decided only at the time of each issue. The pricing of the issuance in the domestic market would be decided based on the prevailing market conditions and its impact on overall cost of borrowing for the Bank.

Accordingly, Shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing of the Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No.4 of the Notice.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/ बांडधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

4. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 31 अक्तूबर 2016 की अपने पत्र सं. एफ.सं.6/24/2013-बीओ.I के द्वारा बैंक को अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (जो केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं) के कार्यकाल के संबंध में आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में सूचित किया है जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकन के समय निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसी अवधि के लिए होगी जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी. (ऐसे निदेशक पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे). इसके लिए शर्त होगी कि ऐसे कोई भी निदेशक लगातार 6 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए अपने पद पर नहीं रहेंगे.

भारत सरकार के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन के लिए यह प्रस्तावित है कि आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 121 को सूचना की मद सं. 5 में किए गए उल्लेख के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाए. यह उल्लेख किया जाता है कि उपर्युक्त विशेष संकल्प को पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आईडीबीआई बैंक से वित्तीय या अन्य संबंध या हित नहीं है.

5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन 00233635) को 28 अप्रैल 2017 को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे निदेशक के रूप में 13वीं वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 18 जुलाई 2017 तक पद पर रहेंगी. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी सूचित की गई है.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding/ bondholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

Government of India (GOI), vide its letter No. F.No.6/24/2013-BO.I dated October 31, 2016 has advised the Bank to take necessary steps to amend the Articles of Association of IDBI Bank in respect of the tenure of Part-time Non Official Director (who are nominated by Central Government) which will be for such term not exceeding three years as the Central Government may specify at the time of his nomination (such Director shall be eligible for re-nomination). Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

In order to comply with GOI's aforesaid directions, it is proposed to pass the Special Resolution as contained at Item No. 5 of the Notice to amend Article 121 of the Articles of Association of IDBI Bank. It is mentioned that no Director or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid Special Resolution.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

Dr. Ashima Goyal (DIN 00233635) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. April 28, 2017 and will hold office as such Director upto the date of the 13th Annual General Meeting, i.e. July 18, 2017. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 signifying her candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Dr. Ashima Goyal as Independent Director for an

यह प्रस्तावित किया जाता है कि डॉ. आशिमा गोयल को लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो 28 अप्रैल 2017 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से प्रभावी होगा तथा वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 6 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि डॉ. आशिमा गोयल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करती हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं डॉ. आशिमा गोयल को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डॉ. आशिमा गोयल की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. डॉ. आशिमा गोयल का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से कोई संबंध नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. आशिमा गोयल बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक फीस तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था, जैसा मामला बनता हो, हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी.

डॉ. आशिमा गोयल का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन 00233635) दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एम.ए. और एम. फिल तथा मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं. वर्तमान में वे इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. संस्थागत और खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और अभिप्रशासन के क्षेत्र में इनके कार्यों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया है और इन्होंने एडीबी, डीईए, जीडीएन, यूएनडीपी, आरबीआई, यूएन ईएससीएपी और डब्ल्यूबी में परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान की हैं. वे भारतीय नीतिगत बहस में सक्रिय हैं और भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, सेबी, आदि द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सदस्य हैं. वे एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि., मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और सिनर्जी क्रिएटर्स प्रा. लिमिटेड के बोर्ड में हैं. डॉ. आशिमा गोयल के पास आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है.

initial term of 4 consecutive years w.e.f. April 28, 2017 (i.e. the date of her original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.6 of the AGM Notice. It may be noted that Dr. Ashima Goyal has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that she meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, she fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 for such an appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Dr. Ashima Goyal herself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Dr. Ashima Goyal as Independent Director. Dr. Ashima Goyal is not related to any other Key Managerial Personnel or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Dr. Ashima Goyal shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of her transport, travel and stay arrangements, as the case may be.

Dr. Ashima Goyal's resume is as under :

Dr. Ashima Goyal (DIN 00233635) is M.A & M.Phil from Delhi School of Economics and Ph.D in Economics from Mumbai University. She is currently working as Professor at Indira Gandhi Institute of Development Research. She is widely published in institutional and open economy macroeconomics, international finance and governance and has provided consultancy to ADB, DEA, GDN, UNDP, RBI, UN ESCAP and WB. She is active in the Indian policy debate and is a member of various committees set up by Government of India, RBI, SEBI, etc. She is on the Board of SBI Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd., Credit Analysis & Research Ltd., Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. and Cynergy Creators Pvt. Ltd. Dr. Ashima Goyal does not hold any shares of IDBI Bank Ltd.

6. **सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

भारत सरकार ने 18 मार्च 2017 की अधिसूचना एफ़. सं. 13/8/(2)2015-बीओ.I के जरिए बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(ए)(ii) के निबंधनों के अनुसार श्री महेश कुमार जैन (डीआईएन 03513127) को 03 अप्रैल 2017 (पद भार ग्रहण करने की तारीख) से 01 नवंबर 2018 (एमडी एवं सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल की शेष अवधि) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार इस नियुक्ति को अनुमोदित किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नियुक्ति को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री महेश कुमार जैन को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री मुकेश कुमार जैन का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

श्री महेश कुमार जैन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री महेश कुमार जैन ने एम. कॉम., एमबीए, सीएआईआईबी, सीएफए और एफआरएम की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है. आईडीबीआई बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले, श्री जैन 2 नवंबर 2015 से इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर थे. उन्होंने 27 सितंबर 2013 से इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया और 10 जून 2015 से इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. उन्होंने कॉरपोरेट एवं रिटेल क्रेडिट, एसएमई क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, वसूली एवं विधि, लेखा, टेक्नोलॉजी प्रबंधन, बैंकिंग परिचालन विभाग, कारोबार प्रसंस्करण पुनर्विन्यास और अनुपालन विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को संभाला. इंडियन बैंक में अपने कार्यकाल से पहले वे सिंडिकेट बैंक में महा प्रबंधक थे और उन्होंने क्रेडिट, परिचालन, निवेश, जोखिम प्रबंधन, आदि जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को संभालते हुए देश के

6. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice**

Govt. of India has, vide Notification F.No.13/8/(2)2015-BO.I dated March 18, 2017 appointed Shri Mahesh Kumar Jain (DIN 03513127) as Managing Director & CEO in place of Shri Kishor Piraji Kharat w.e.f. April 03, 2017 (the date of taking over charge of the post) upto November 01, 2018 (remaining period of his tenure as MD & CEO) or until further orders, whichever is earlier, in terms of Article 116(1)(a)(ii) of the Articles of Association of the Bank. Board has approved the appointment in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Mahesh Kumar Jain himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Mahesh Kumar Jain is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri Mahesh Kumar Jain's resume is as under :

Shri Mahesh Kumar Jain holds the qualification of M.Com., MBA, CAIIB, CFA and FRM to his academic credit. Prior to joining IDBI Bank, Shri Jain was holding the post of MD & CEO of Indian Bank w.e.f November 2, 2015. He also served as Executive Director of Indian Bank from September 27, 2013 and was holding additional charge of MD & CEO of Indian Bank from June 10, 2015. He handled key portfolios such as Corporate & Retail Credit, SME Credit, Risk Management, Recovery & Legal, Accounts, Technology Management, Banking Operations Department, Business Process Re-engineering and Compliance Department. Before his stint in Indian Bank, he was the General Manager of Syndicate Bank and has worked in several parts of the country, handling important portfolios that include Credit, Operations, Investments, Risk Management,

कई हिस्सों में काम किया है. उनका जोखिम प्रबंधन में विशाल अनुभव और विशेषज्ञता है. उन्होंने अपना कैरियर पंजाब नेशनल बैंक में शुरूकिया था.

7. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना एफ़. सं. 4/5/(7)2016-बीओ.I के जरिए बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(बी) के निबंधनों के अनुसार श्री कृष्ण प्रसाद नायर (डीआईएन 02611496) को 15 सितंबर 2016 (पद पर कार्यग्रहण की तारीख) से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31 मई 2019 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार इस नियुक्ति को अनुमोदित किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नियुक्ति को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री कृष्ण प्रसाद नायर को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री कृष्ण प्रसाद नायर का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

श्री कृष्ण प्रसाद नायर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री कृष्ण प्रसाद नायर (डीआईएन 02611496) मद्रास विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और कोचीन विश्वविद्यालय से एमबीए हैं. वे डीएफ़आई के समय से ही लगभग तीन दशकों से आईडीबीआई के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें भारत सरकार ने 15 सितंबर 2016 से बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. आईडीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान श्री नायर ने कार्यपालक निदेशक सहित विभिन्न क्षमताओं में रिटेल बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, मानव संसाधन, कॉरपोरेट वित्त, प्रशासन और आईटी की जिम्मेदारियाँ संभाली हैं. श्री नायर के पास आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के 320 शेयर हैं.

etc. He has vast experience and expertise in Risk Management. He started his career in Punjab National Bank.

7. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.8 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification F.No.4/5/(7)2016-BO.I dated September 15, 2016, appointed Shri Krishna Prasad Nair (DIN 02611496) as Deputy Managing Director w.e.f. September 15, 2016 (the date of taking over charge of the post) upto May 31, 2019, i.e., the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier, in terms of Article 116(1)(b) of the Articles of Association of the Bank. Board has approved the appointment in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Krishna Prasad Nair himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Krishna Prasad Nair is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnnel of the Bank.

Shri Krishna Prasad Nair's resume is as under :

Shri Krishna Prasad Nair (DIN 02611496) is a Commerce graduate from University of Madras and M.B.A. from University of Cochin. He has been associated with IDBI for nearly three decades since its DFI days. He was appointed by Government of India as Bank's Deputy Managing Director w.e.f September 15, 2016. During his tenure in IDBI, Shri Nair has handled assignments in Retail Banking, Priority Sector, Human Resources, Corporate Finance, Administration and IT in various capacities including as Executive Director. Shri Nair holds 320 shares of IDBI Bank Ltd.

8. सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना एफ़. सं. 4/5/(6)2016-बीओ.I के जरिए बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(बी) के निबंधनों के अनुसार श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर (डीआईएन 01432796) को 15 सितंबर 2016 (पद पर कार्यग्रहण की तारीख) से तीन वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार इस नियुक्ति को अनुमोदित किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नियुक्ति को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंद्ध या हितबद्ध नहीं हैं. श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर (डीआईएन 01432796) बी.ई. और एम.एम.एस. मुंबई विश्वविद्यालय से और सीएआईआईबी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से हैं. उन्होंने भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान, कोलकाता से आईसीडब्ल्यूएआई-इंटर भी किया है. उनके पास आईडीबीआई में 29 साल का अनुभव है. उन्हें भारत सरकार ने 15 सितंबर 2016 को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. उन्होंने बैंक में विभिन्न पदों पर विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट समूह और बृहद् कॉरपोरेट समूह वाले कॉरपोरेट बैंकिंग कार्यों के साथ-साथ वसूली, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, एमएसएमई और रणनीतिक निवेश जैसे दायित्वों को संभाला है. श्री यादवाडकर के पास आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है.

8. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.9 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification F.No.4/5/(6)2016-BO.I dated September 15, 2016, appointed Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar (DIN 01432796) as Deputy Managing Director w.e.f. September 15, 2016 (the date of taking over charge of the post) for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, in terms of Article 116(1)(b) of the Articles of Association of the Bank. Board has approved the appointment in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said appointment. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar's resume is as under:

Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar (DIN 01432796) is B.E. and M.M.S. from University of Mumbai and CAIIB from Indian Institute of Bankers. He also pursued ICWAI-Inter from the Institute of Cost and Works Accountants of India, Kolkata. He has more than 29 years of experience in IDBI. He was appointed by Government of India as Bank's Deputy Managing Director w.e.f September 15, 2016. He has handled various positions in the Bank, especially, Corporate Banking functions comprising of Infrastructure Corporate Group and Large Corporate Group apart from assignments in Recovery, Priority Sector, MSME and Strategic Investments. Shri Yadwadkar does not hold any shares of IDBI Bank Ltd.

9. सूचना की मद सं. 10 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 07 फरवरी 2017 की अपनी अधिसूचना एफ़.सं. 7/2/2012-बीओ.I के जरिए श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन 00208604), संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(सी) के अधीन 07 फरवरी 2017 से अगले आदेश तक श्री अशोक पाल सिंह के स्थान पर आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया है. बोर्ड ने उपर्युक्त नामांकन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार अनुमोदित किया किया है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त नामांकन को नोट करें. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (श्री प्रवीण गर्ग को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री प्रवीण गर्ग का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

श्री प्रवीण गर्ग का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री प्रवीण गर्ग 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. वे वर्तमान में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं. वे वाणिज्य में स्नातक तथा सनदी लेखाकार हैं. पिछले 27 वर्षों से उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. उन्होंने जिला सीधी, सतना, खंडवा एवं जबलपुर के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर के रूप में तथा मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि. में कमिश्नर (संस्थागत वित्त), प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं. प्रबंध निदेशक के रूप में वे 'गंतव्य एमपी' कार्यक्रम के पहल में मददगार रहे जो मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने तथा उसके औद्योगिकीकरण के लिए था. उन्होंने सचिव, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग; कमिश्नर, मध्य प्रदेश गृह

9. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.10 of the Notice

Govt. of India has, vide Notification F.No.7/2/2012-BO.I dated February 07, 2017, nominated Shri Praveen Garg (DIN 00208604), Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India as Govt. Nominee Director on the Board of IDBI Bank Ltd. in place of Shri Ashok Pal Singh w.e.f. February 07, 2017 and until further orders, in terms of Article 116(1)(c) of the Articles of Association of the Bank. Board has approved the above nomination in terms of Section 161(3) of the Companies Act, 2013. Members are requested to take note of the said nomination. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Praveen Garg himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Praveen Garg is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Shri Praveen Garg's resume is as under :

Shri Praveen Garg is an IAS officer of the 1988 batch and currently working as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. He is a graduate in Commerce and Chartered Accountant. For the last 27 years he has worked in different positions with the Government of Madhya Pradesh and Government of India. He has served as District Magistrate & Collector of the Districts of Sidhi, Satna, Khandwa & Jabalpur and as Commissioner (Institutional Finance), Managing Director in MP State Industries Corporation Ltd. As Managing Director he was instrumental in initiating 'Destination MP' programme to attract investments and industrialization in Madhya Pradesh. He also served as Secretary, Department of Renewable Energy; Commissioner, MP Housing &

निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल; ईडी, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन; सीईओ, झील संरक्षण प्राधिकरण; सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण; ईडी, आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल; राजस्व कमिश्नर, भोपाल प्रभाग के रूप में अपनी सेवाएँ दीं तथा 2013 में भारत सरकार के विधि विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यग्रहण किया.

बोर्ड के आदेश से

(महेश कुमार जैन)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएन 03513127)

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005
दिनांक : 31 मई 2017

Infrastructure Development Board; ED, Environmental Planning & Coordination Organisation; CEO, Lake Conservation Authority; Member Secretary, State Environment Impact Assessment Authority; ED, Disaster Management Institute, Bhopal; Revenue Commissioner, Bhopal Division and joined Government of India in 2013 as Joint Secretary, Department of Justice.

By Order of the Board

(Mahesh Kumar Jain)
MD & CEO
(DIN 03513127)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated : May 31, 2017

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है
This page has been intentionally left blank

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लि.

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN : L65190MH2004GOI148838

कंपनी का नाम	:	आईडीबीआई बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालय	:	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005.

सदस्य(यों) का/के नाम	:
पंजीकृत पता	:
ईमेल आईडी	:
फोलियो सं./ ग्राहक आईडी	:
डीपी आईडी	:

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के ________________ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम : ____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : ____________________________ को अथवा उनके न होने पर,

2. नाम : ____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : ____________________________ को अथवा उनके न होने पर,

3. नाम : ____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : ____________________________

को यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021 में 18 जुलाई 2017 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली और उसके किसी स्थगन पर आयोजित होनेवाली **बैंक की 13वीं वार्षिक महासभा** में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं:

संकल्प संख्या:

1. यथा दिनांक 31 मार्च 2017 को आईडीबीआई बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (साधारण संकल्प);
2. वर्ष 2017-18 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की आरबीआई से प्राप्त होने वाले अनुमोदन के अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प ((साधारण संकल्प);
3. क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न माध्यमों से कुल ₹ 5000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(C) के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प);
4. बॉन्डों को शामिल करते हुए, एक या अधिक चरणों में, विभिन्न माध्यमों से ₹ 5000 करोड़ तक जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उसके अन्य प्रावधानों के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प);
5. बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 121 में संशोधन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन संकल्प (विशेष संकल्प);
6. बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. आशिमा गोयल की नियुक्ति (साधारण संकल्प);
7. श्री महेश कुमार जैन की बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति को नोट करना (साधारण संकल्प);
8. श्री कृष्ण प्रसाद नायर की बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को नोट करना (साधारण संकल्प);
9. श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर की बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को नोट करना (साधारण संकल्प), और
10. श्री प्रवीण गर्ग की बैंक के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामांकन को नोट करना (साधारण संकल्प).

दिनांक ___________ माह ___________ 2017 को हस्ताक्षरित.

रेवेन्यू स्टाम्प लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर : ______________________________

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर : ______________________________

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् रविवार, 16 जुलाई 2017 को अपराह्न 3.30 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.

IDBI BANK

IDBI Bank Limited

Form No. MGT-11
Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:L65190MH2004GOI148838

Name of the company	:	IDBI Bank Ltd.
Registered office	:	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005.

Name of the member (s)	:	
Registered address	:	
E-mail Id	:	
Folio No/ Client Id	:	
DP ID	:	

I/We, being the member (s) of ______________ shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:______________________________
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:______________, or failing him
2. Name: ______________________________
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:______________, or failing him
3. Name: ______________________________
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:______________

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at 13th Annual General Meeting **of the Bank, to be held on the 18th day of July 2017 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1. Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2017 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution);
2. Authorising the Board of Directors to appoint /re-appoint Joint Statutory Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2017-18 in line with the RBI approval to be received in this regard (Ordinary Resolution);
3. Enabling Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution);
4. Enabling Resolution u/s 42 and other provisions of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 5,000 crore comprising of Bonds by way of different modes (Special Resolution);
5. Resolution u/s 14 of the Companies Act, 2013 for amendment in Article 121 of the Articles of Association of the Bank (Special Resolution);
6. Appointment of Dr. Ashima Goyal as Independent Director of the Bank (Ordinary Resolution);
7. To note the appointment of Shri Mahesh Kumar Jain as MD & CEO of the Bank (Ordinary Resolution);
8. To note the appointment of Shri Krishna Prasad Nair as Deputy Managing Director of the Bank (Ordinary Resolution);
9. To note the appointment of Shri Gurudeo Madhukar Yadwadkar as Deputy Managing Director of the Bank (Ordinary Resolution); and
10. To note the nomination of Shri Praveen Garg as Govt. Nominee Director of the Bank (Ordinary Resolution).

Signed this __________ day of__________ 2017

Affix Revenue Stamp

Signature of shareholder: ______________

Signature of Proxy holder(s): ______________

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. (i.e. on or before 3.30 p.m. on Sunday, July 16, 2017).

IDBI BANK

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम ____ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं कि वे

- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करे अथवा
- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी/ एनएसीएच द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करे.

  (जो लागू न हो उसे काट दें)

फोलियो नं.: IDB __________________________

बैंक खाते का विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	शेयरधारक का ई-मेल आईडी	:	

....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड की परिशुद्धता के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक की फोटो कॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.
2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	**शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :**
कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना.	संबंधित डिपॉजिटरी, जहां आपका डीमैट खाता खोला गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति.
3. रद्द रिक्त चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

IDBI BANK

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We ______________________________________ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Print the following details on my/our dividend warrant or
- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT/NACH.

(Strike out whichever is not applicable)

Folio No. : IDB_________________________

Particulars of Bank Account:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of shareholder	:	

………………………………..

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.

2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:	**In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:**
Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled Blank Cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE